dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078
उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं0 18008909715

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 3513/12–1 चकराता, दिनांक 16 अप्रैल 2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सहिया।

विषय **जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमरउ–ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No-FP/UK/ROAD/123339/2021)**

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड, शासन की पत्र संख्या–1585/×-3-21/1(119)/2021, दिनांक 22.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक मोटर मार्ग में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय की पत्र सं0–5106/12–1, दिनांक 17.05.2023 प्रेषित की गई थी। प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.02.2026 से लगाई ऑनलाईन ई.डी.एस. के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु नई दरों के अनुसार जमा धनराशि का डिमांड नोट निम्न है–

प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव हेतु धनराशि

प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	ईकोक्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (है0में)	दर	जमा की जाने वाली आंकलित धनराशि (रू0में)
FP/UK/ROAD/11427/2015	2.24	5	0.1	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख रखाव	(100 वृक्ष)	2358.00	2,35,800.00
						पूर्व में जमा धनराशि	1,61,000.00
						अवशेष धनराशि	**74,800.00**

नोट– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0–क–1191/3–5–2(एफ.सी.), दि0 26.03.2026 से वित्तीय वर्ष 2025–26 में रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षारोपण रूपये में प्रति वृक्ष रू0–2143 की दर निर्धारित है। वृक्षारोपण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0–एल.–642/14–3–627/89, दिनांक 30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्राविधान है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2026–27 में रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षारोपण रूपये में प्रति वृक्ष रू0–2358 की दर के अनुसार उक्त मांग की गई है।

NEW 472

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078
उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं0 18008909715

अतः आप उक्त डिमांड नोट में उल्लेखित अवशेष धनराशि (रू0–**74800.00**) को कैम्पा कोष में जमा कर चालान की प्रमाणित 03 प्रतियां एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 3513 /12–1 तद्दिनॉकित
प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

NEW 473